The Uttarakhand Right to Service Act, 2011

Act 20 of 2011

Keyword(s): Right to Service

Amendment appended: 10 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Right To Service Act, 2011'** (Adhiniyam Sankhya 20 of 2011) :--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 04, 2011.

No. 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011
Dated Dehradun, October 04, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND RIGHT TO SERVICE ACT, 2011

(UTTARAKHAND ACT NO. 20 OF 2011)

AN

ACT

to provide for the delivery of services to the people of the State of Uttarakhand within the given time limits and for matters connected therewith and incidental thererto.

Be it enacted in the Sixty-second Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows :-

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Right to Service Act, 2011.

(2) It shall come into force at on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. In these Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) **'Commission'** means a Commission constituted under section 12;

(b) **'Designated Officer'** means an officer as notified under section 3;

(c) **'eligible person'** means a person who is eligible for obtaining services notified under section 3;

(d) **'First Appellate Authority'** means an officer, who is notified as such under section 3;

(e) **'given time limit'** means maximum time to provide the service by the Designated officer as notified under section 3;

(f) **'prescribed'** means prescribed by rules made under this Act;

(g) **'right to service'** means a right to obtain the service within the given time limit;

(h) **'service'** means any service notified under section 3;

(i) **'Second Appellate Authority'** means an officer who is notified as such under section 3;

(j) **'section'** means a section of this Act; and

(k) **'State Government'** means the Government of the State of Uttarakhand.

Notification of service, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the given time limit

3. (1) The State Government may by notification from time to time, notify the services, to which this Act shall apply.

(2) The State Government may by notification specify the Designated Officer, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the given time limit for the purposes of this Act.

Providing of service

4. The Designated Officer shall provide the service to the eligible person within the given from time limit.

Procedure for obtaining service

5. (1) An eligible person shall make an application to the Designated Officer for obtaining any service under the provisions of this Act.

(2) The Designated Officer shall, on receipt of an application under sub-section (1), provide service or reject the application within the given time limit and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate the same to the applicant.

(3) Every Designated Officer shall maintain detailed records of services applied for in a format as may be prescribed.

First Appeal

6. (1) Any eligible person, whose application for obtaining service is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the given time limit may file and appeal to the First Appellate Authority within thirty days form the date of rejection or the expiry of the given time limit, as the case may be.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the First Appellate Authority shall consider the matter and if in its opinion the grievance of the eligible person appears to be genuine, it may direct the Designated Officer to provide the service within such period, as may be specified by it and in case of default to appear before it in person and explain reasons thereof.

(3) After affording an opportunity of hearing to the Designated Officer and the eligible person, the First Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal or rejecting the same by an order made in writing and in the case of rejection, the reasons for rejection shall be specified by it in such order and shall communicate the same to the eligible person.

(4) An appeal made under sub-section (1) shall be finally disposed of by the First Appellate Authority, as far as possible, within a period of thirty days of its receipt.

Second appeal

7. (1) Any eligible person, whose appeal for obtaining service is rejected or who is not provided the service within the time specified by the First Appellate Authority under section 6, may file an appeal to the Second Appellate Authority within thirty days from the date of such rejection or the expiry of the time specified by the First Appellate Authority.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Second Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal and directing the Designated Officer to provide service to the eligible person within such period as may be specified or reject the same in writing detailing the reasons for such rejection :

Provided that before rejecting the appeal, as opportunity of hearing to the eligible person shall be granted by the Second Appellate Authority:

Provided further that an order made by the Second Appellate Authority under this section shall be communicated to the eligible person:

Provided further that the appeal made under sub-section (1) shall be decided by the Second Appellate Authority, as far as possible, within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.

Power to summon and inspection

8. The First Appellate Authority and the Second Appellate Authority shall, while deciding an appeal under the provisions of this Act, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters; namely :-

(a) requiring the production and inspection of documents;

(b) issuing summons for hearing to the Designated Officer and the appellant; and

(c) any other matter which may be prescribed.

Penalty 9. (1) (a) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to provide service without sufficient and reasonable cause, it may impose a lump sum penalty on the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service which shall not be less than rupees five hundred and not more than rupees five thousand;

(b) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have caused undue delay in providing the service, it may impose a penalty at the rate of rupees two hundred and fifty per day for such delay on the Designated Officer and/or any official involved in the process of providing such service, which shall not be more than rupees five thousand :

Provided that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him/them under sub-section (a) and (b).

(2) The Second Appellate Authority may, by an order give such amount as compensation to the appellant out of the amount of the penalty imposed under sub-section (1), as may be specified by it, which shall not exceed that total amount of the penalty so imposed.

(3) The Second Appellate Authority may, if it is satisfied that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to discharge the duties assigned under this Act without sufficient and reasonable cause, recommend disciplinary action against the defaulters under the service rules applicable to them in addition to the penalty imposed under sub-section (1).

Revision **10.** Any person may, who is aggrieved by any order of the Second Appellate Authority make an application for revision of the said order to the Commission or an officer nominated in this respect under the proviso to sub-section (1) of section 12 within a period of sixty days from the date of such order, which shall be disposed of in the manner as may be prescribed:

Provided that the Commission or the officer nominated, as the case may be may entertain the application after the expiry of the said period of sixty days, if it or he is satisfied that the application could not be submitted in time for a reasonable cause.

Display of services and given time limit **11.** The services and the given time limit shall be displayed locally and on website by the Secretary of the Concerning Department for information of the public.

Constitution of the Commission **12.** **(1)** If in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient so to do, it may, be notification, constitute for the purposes of this Act, a Commission to be called the Uttarakhand Right to Service Commission :

Provided that till such time the Commission is not constituted by the State Government, it may, by notification, nominate an officer of the State Government, not below the rank of a Principal Secretary to perform the functions and exercise the powers of the Commission under this Act.

(2) The Commission shall be a body corporate, known by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

(3) The Head office of the Commission will be at Dehradun or at such place, as the State Government may notify from time to time.

Composition of the Commission **13.** **(1)** The Commission shall consist of a Chief Commissioner and two Commissioners and their appointment shall be made by the State Government in consultation with the Leader of Opposition in the Uttarakhand Vidhan Sabha.

(2) The Chief Commissioner shall be a retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Uttarakhand or Secretary to the Government of India.

(3) The Commissioners shall be serving or retired officers of the Government of Uttarakhand in the rank and status of a Secretary or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services from the Uttarakhand Cadre and/or expert in the field of Public Administration having a Doctorate in Philosophy in Public Administration who have an experience of teaching in a University for a period of at least twenty years or from amongst other eminent public persons.

Powers of the Chief Commissioner

14. (1) The Chief Commissioner shall have powers of general superintendence and direction in the conduct of the affairs of the Commission. The Chief Commissioner shall preside over the meetings of the Commission as well as exercise and discharge the powers and functions of the Commission vested in him in accordance with the regulations framed under sub-section (4) of section 17.

(2) In case of absence of the Chief Commissioner or a vacancy in the office of the Chief Commissioner, the State Government may nominate one of the Commissioners to perform the functions and exercise the powers vested in the Chief Commissioner as long as the vacancy or absence continues.

(3) A Commissioner nominated to discharge the functions and powers of the Chief Commissioner under sub-section (2) shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Commissioner.

Term of office and conditions of service of Chief Commissioner and Commissioners

15. (1) The Chief Commissioner and the Commissioners shall hold office for a term of five years from the date on which they enter upon the respective offices, or until they attain the age of sixty five years, whichever is earlier and they will not be entitled for re-appointment.

(2) If a person already holding an office is appointed as the Chief Commissioner or Commissioner, he shall have to resign or seek retirement form that office before joining the Commission.

(3) The Chief Commissioner or a Commissioner shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath affirmation.

(4) The Chief Commissioner or a Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office. He would also be liable for removal from the office in the manner provided under section 16.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be the same as those of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners respectively as laid down in sub-section (5) of section 16 of the Right to information Act, 2005. All provision of the aforesaid sub-section shall apply *mutatis mutandis* to the Chief Commissioner and the Commissioners appointed under the Act.

(6) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act. The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees so appointed shall be such as may be prescribed.

Removal and Suspension of the Chief Commissioner or a Commissioner from office in certain circumstances.

16. (1) The State Government may remove the Chief Commissioner or any Commissioner from office after complying with the provisions of Sub-section (2), if he has—

(i) been adjudged insolvent; or

(ii) been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(iii) become physically or mentally incapable; or

(iv) acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions in any of the said capacities; or

(v) so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the Chief Commissioner or any Commissioner, shall not be removed from his office, unless,--

(i) A reference is made by the State Government to the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand State seeking an enquiry and recommendation on the proposed removal of the Chief Commissioner or the Commissioner along with the grounds for the removal and material supporting such proposal;

(ii) the reference if duly enquired into by an inquiry committee headed by a sitting or retired High Court Judge or any other person appointed by the Chief Justice of the High Court of Uttarakhand ; and

(iii) the inquiry committee makes recommendation that the Chief Commissioner or the Commissioner ought to be removed on such ground or grounds.

(3) The State Government may suspend the Chief Commissioner or the Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Chief Justice under sub-section (2).

Powers and functions of the Uttarakhand Right to Service Commission

17. (1) It shall. be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the state Government for ensuring better delivery of services. For this purpose, the Commission may,--

(a) entertain and dispose of revisions under section 10;

(b) take *suo moto* notice of failure to deliver service in accordance with this Act and refer such cases for disposal as may be appropriate;

(c) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the First Appellate Authority and the second Appellate Authority;

(d) recommend Departmental action against any officer or employee of the State Government who has failed in due discharge of functions cast on him under this Act;

(e) recommend changes in procedures for delivery of services which will make the delivery more transparent and easier :

Provided that before making such a recommendation.

the Commission shall consult the Administrative Secretary in-charge of the Department which is to deliver the service;

(f) recommend additional notifications to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act.

(2) Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into a matter arising out of the provisions of this Act, it may, *suo moto*, initiate and inquiry in respect thereof.

(3) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters; namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of persons, compelling them to give oral or written evidence on oath and producing documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public records or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

(4) The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as the Commission may deem fit.

Action by the Government on recommendations of the Commission

18. (1) The State Government shall consider the recommendations made by the Commission under clause (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 17 and send information to the Commission of action taken within thirty days or such longer time as may be decided in consolation with the Commission. In case the Government decided not to implement any of the recommendations of the

Commission, it will communicate the reasons for not acting on the recommendations to the Commission.

(2) The Commission shall prepare an annual report of the recommendations made by it under section 17 along with the action taken and reasons for not taking action, if any. The State Government shall cause a copy of this report to be laid on the table of the Uttarakhand Legislative Assembly.

Protection of action taken in good faith

19. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder.

Powers of make rules

20. **(1)** The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters; namely :-

(a) the format to maintain the recodes of services under sub-section (3) of section 5;

(b) the procedure for disposing of an application made under section 10;

(c) salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Commission under sub-section (6) of section 15; and

(d) any other matter which is required to be or may be prescribed.

(3) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions

aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Power to remove difficulties **21.** If any difficulty arises in giving effect to the provision of this Act, the State Government may by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the same :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

By Order,

D.P. GAIROLA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 विधायी / 487–2011–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–147

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 अक्टूबर, 2011 ई0
आश्विन 12, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 307 / XXXVI(3) / 2011 / 55(1) / 2011
देहरादून, 04 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011"** पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक मामलों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) **"आयोग"** से अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) **"पदाभिहित अधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **"पात्र व्यक्ति"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **"उपलब्ध समय सीमा"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का अधिकार"** से उपलब्ध समय सीमा के भीतर सेवा को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) **"धारा"** से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और उपलब्ध समय सीमा के लिए अधिसूचना

3. (1) राज्य सरकार, जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, अधिसूचना द्वारा समय–समय पर सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।

सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना

4. पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध कराई गई समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध करायेगा।

सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रकिया

5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिए गए समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन पत्र को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवा के अभिलेख का विस्तृत विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाय, अनुरक्षित करेगा।

प्रथम अपील

6. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सेवा को प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या जो दिए गए समयावधि के भीतर सेवा को उपलब्ध नहीं कराता है, के लिए ऐसे खारिज करने की तारीख के तीस दिन के भीतर अथवा उपलब्ध कराई गई समय–सीमा की समाप्ति पर, जैसी स्थिति हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय मे पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा।

(3) पात्र व्यक्ति और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात्, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश पारित करेगा या लिखित रूप में उसके खारिज करने के आदेश पारित करेगा तथा खारिज करने की दशा में खारिज करने के कारणों को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा एवं पात्र व्यक्ति को उसे संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उसकी प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर यथासम्भव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की जायेगी।

द्वितीय अपील 7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या धारा 6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा:

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।

समन और निरीक्षण करने की शक्ति 8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ निहित होंगी; अर्थात :—

(क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा;

(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करने; और

(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जायं।

शास्तियां 9. (1) (क) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति, जो कि ₹ 500.00 से कम तथा ₹ 5000.00 से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

(ख) जहाँ द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की राय में पर्याप्त और समुचित कारणों के बिना उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा के असफल होने पर ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया से सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराए जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो ऐसे पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी पर वह एकमुश्त शास्ति ₹ 250.00 प्रतिदिन की दर से ऐसे विलम्ब के लिए किए गए दिनों हेतु अधिरोपित कर सकेगा, जो कि ₹ 5000.00 से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी उपखण्ड (क) और (ख) के अधीन उसे/उन्हें अधिरोपित किसी दण्ड के लिए दण्ड देने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर देगा।

(2) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की धनराशि में से आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि को दिए जाने का आदेश दे सकेगा, जैसा कि उसके द्वारा विहित किया जाय, जो कि इस प्रकार अधिरोपित की गई शास्ति की कुल धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सेवा को उपलब्ध कराए जाने की प्रकिया में सम्बद्ध पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य सम्बद्ध अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बिना पर्याप्त और समुचित कारणों के उन्हें सौपे गए कृत्यों का निर्वहन करने में असफल हो गया है तो उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन त्रुटि के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा।

पुनरीक्षण 10. कोई व्यक्ति, जो कि द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन इस सम्बन्ध में नाम–निर्दिष्ट अधिकारी या आयोग को उक्त आदेश का पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन दे सकता है, जिसे विहित रीति से निस्तारित किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग या नाम–निर्दिष्ट अधिकारी, जैसी स्थिति हो, यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन न कर सकने के लिए यदि वह सन्तुष्ट हो तो वह उक्त साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है।

सेवाओं को दर्शाया जाना और दिए गए समय की अवधि 11. जनता की सूचना के लिए सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय और वेबसाइट पर सेवाओं और दिए गए समय की अवधि को दर्शाया जाएगा।

आयोग का गठन 12. (1) यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसा करना आवश्यक और समीचीन हो तो वह अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक आयोग का गठन कर सकेगी, जिसे उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ज्ञात नाम से जाना जायेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा जब तक आयोग का गठन नहीं कर लिया जाता है तब तक वह अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के श्रेणी से अन्यून, किसी अधिकारी को नामित कर सकेगी, जो कि इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगा, ।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसे उपर्युक्त नाम से जाना जायेगा और जिसे शारस्वत् अधिकार प्राप्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्राविधानों के अध्यधीन स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों तथा संविदा करने, अपेक्षा करने, धारण करने और निस्तारित करने की शक्ति सहित एक सामान्य मुद्रा होगी और उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा तथा वाद ला सकेगा।

(3) आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून अथवा ऐसे स्थान पर होगा, जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

आयोग की संरचना 13. (1) आयोग मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) मुख्य आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव अथवा भारत सरकार के सचिव स्तर के किसी अधिकारी की श्रेणी का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

(3) आयुक्त उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत् अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कि सचिव के स्तर और श्रेणी तथा इसके समकक्ष श्रेणी और स्तर में राज्य की किसी सेवा में उत्तराखण्ड राज्य संवर्ग से अखिल भारतीय सेवाओं और/अथवा लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिसके पास लोक प्रशासन में दर्शन शास्त्र में शोध कार्य करने और किसी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के लिए अध्यापन कार्य करने का अनुभव अथवा कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य मामले में प्रतिष्ठित हो, से नियुक्त किया जा सकेगा।

मुख्य आयुक्त की शक्तियाँ

14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ होंगी। मुख्य आयुक्त धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में उसमें निहित आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के साथ–साथ बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति में अथवा मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में राज्य सरकार किसी एक आयुक्त को रिक्ति की अवधि में अथवा उसकी अनुपस्थिति में मुख्य आयुक्त में निहित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नामित कर सकेगी।

(3) नामित आयुक्त उपधारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने पर आयुक्त के रूप में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, भत्ते अथवा अतिरिक्त सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि और सेवा–शर्तें

15. (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसके मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय, पूर्व से ही किसी अन्य पद पर कार्य कर रहा हो तो उसे उस पद से त्याग–पत्र देना होगा अथवा आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उस पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त करनी होगी।

(3) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के समक्ष, जिसे वह नियुक्त करे, सत्यनिष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(4) मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त किसी भी समय लिखित रूप में हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेंगे। वह धारा 16 के अधीन उपबन्धित रीति में पद से हटाए जाने के लिए दायी भी होगा।

(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्त की सेवा की शर्तें और निबन्धन तथा संदेय वेतन और भत्ते क्रमशः राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) में अधिकथित व्यवस्था के समरूप होगी। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और आयुक्तों पर उपर्युक्त उपधारा के सभी उपबन्ध यथावत् लागू होंगे।

(6) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन आयोग की उपयुक्त दक्षता के लिए, जैसा आवश्यक हो, ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें, ऐसी होंगी, जैसी विहित की जांय।

मुख्य आयुक्त या आयुक्त को कतिपय परिस्थितियों में उनके पदों से निलम्बित किया जाना और हटाया जाना

16. (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुपालन के पश्चात् मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को हटा सकेगी, जो उसकी राय में –

(एक) वह दिवालिया घोषित हो गया हो; अथवा

(दो) किसी अपराध में अभियुक्त हो, जो कि राज्य सरकार की राय में नैतिक अपराध से सम्बन्धित हो; अथवा

(तीन) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अयोग्य हो गया हो; अथवा

(चार) ऐसे वित्तीय अथवा अन्य हित की अपेक्षा करता हो, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त किसी हैसियत में उसके कृत्य को सद्भावपूर्वक सम्पादित करने में कठिनाई हो; अथवा

(पाँच) सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा दुरूपयोग करता है, जिसके कारण उसका पद पर बना रहना, लोकहित में हानिकारक है।

(2) उपधारा (1) में किसी अन्य बात के होते हुए भी मुख्य आयुक्त अथवा कोई आयुक्त तब तक उसके पद से नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि –

(एक) राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जाँच हेतु मुख्य आयुक्त और आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने के लिए ऐसे प्रस्ताव के साथ आवश्यक पत्रजात, जो कि उसके हटाए जाने के आधार हों, सहित कोई सन्दर्भ नहीं किया जाता है;

(दो) ऐसे सन्दर्भ पर उत्तराखण्ड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त कोई कार्यरत् अथवा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा सम्यक रूप से जाँच नहीं कर ली जाती है;

(तीन) जाँच समिति यह संस्तुत न कर दे कि मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को ऐसे आधार अथवा आधारों पर उसके पद से हटाया जाय।

(3) राज्य सरकार, सम्बन्धित मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्तों को उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायाधीश को किए गए सन्दर्भ के पश्चात् निलम्बित कर सकेगी।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

17. (1) इस अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन तथा सेवा को और अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना, आयोग का दायित्व होगा। इस प्रयोजन के लिए आयोग :–

(क) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण को दाखिल और निस्तारित कर सकेगी;

(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, जैसा समुचित समझा जाय, ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों। का निरीक्षण कर सकेगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकेगा;

(ङ) सेवाओं की उपलब्धता के लिए प्रकियाओं में संशोधन के लिए, जिससे सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल किया जा सके, की संस्तुति कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी संस्तुति करने से पूर्व आयोग विभाग के प्रशासनिक प्रभारी सचिव से परामर्श करेगा, जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दायी है;

(च) धारा 3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाली अतिरिक्त अधिसूचनाओं की संस्तुति तथा इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं में उपान्तरण के लिए सुझाव दे सकेगा।

(2) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के मामलों में जाँच करने के समुचित आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह उस सम्बन्ध में कोई जाँच स्वतः प्रारम्भ कर सकेगा।

(3) आयोग, जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी :–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ–पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।

(4) आयोग अपने व्यवहरण के संचालन के लिए तथा किसी ऐसे मामलों के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, विनियम बना सकेगा।

आयोग की संस्तुतियों पर सरकार की कार्यवाही

18. (1) राज्य सरकार, धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करेगा और आयोग को तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे अधिक समय पर, जैसा आयोग के साथ परामर्श कर अभिनिश्चित किया जाय, की गई कार्यवाही से आयोग को सूचना भेजेगा। यदि सरकार यह अभिनिश्चित करे कि आयोग की किसी संस्तुति पर अनुपालन नहीं किया जाना है तो आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही न किए जाने के लिए कारणों को संसूचित करेगा।

(2) आयोग, धारा 17 के अधीन उसके द्वारा की गई संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई और कार्रवाई न करने के कारणों सहित, यदि कोई हो, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार, इस रिपोर्ट की प्रतियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा के पटल पर रखेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

19. इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी के विरूद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्–

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन सेवाओं को अभिलिखित करने के लिए अनुरक्षित रखने हेतु प्ररूप ;

(ख) धारा 10 के अधीन आवेदन–पत्र के निस्तारण के लिए प्रकिया;

(ग) धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन, भत्ते; तथा

(घ) कोई अन्य मामले, जो अपेक्षित हों या जिन्हें विहित किया जाना आवश्यक हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ही बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाय कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कतिनाईयों के निराकरण की शक्ति

21. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के परामर्श से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,

प्रमुख सचिव।

क्रम संख्या–49 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 ई0

बैशाख 05, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 155/XXXVI(3)/2023/12(1)/2023

देहरादून, 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 10, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो,

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 के खण्ड (झ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" से आयोग अभिप्रेत है;

धारा 3 का संशोधन 3 मूल अधिनियम में, धारा 3 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(2)राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।"

धारा 7 का संशोधन 4 मूल अधिनियम में, धारा 7 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या धारा 6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा :

परन्तु यह कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदन न कर सकने से संतुष्ट हो तो वह निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निदेश दे सकेगा;

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।"

धारा 8 का संशोधन 5 मूल अधिनियम में, धारा 8 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्याक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ निहित होंगी, अर्थात :–

(क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा,

(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करने; और

(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जाय।"

धारा 10 का लोप 6 मूल अधिनियम में, धारा 10 विलोपित कर दी जायेगी।

धारा 13 का संशोधन 7 मूल अधिनियम में, धारा 13 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"आयोग, मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।"

संशोधन 8 मूल अधिनियम में, धारा 15 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 17 का संशोधन 9 मूल अधिनियम में, धारा 17 में,

(i) उपधारा (1) का खण्ड (क) विलोपित कर दिया जायेगा,

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा अथवा स्वतः भी मामले को निर्णित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा;"

(iii) उपधारा (1) में नया खण्ड (छ) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(छ) धारा 7 के अधीन अपील को स्वीकार और निस्तारित कर सकेगा।"

(iv) उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(3)आयोग जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच अथवा धारा–7 के अधीन अपील का निस्तारण कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगीः–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।"

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 19.क का अंतःस्थापन 10 मूल अधिनियम में, धारा 19 के पश्चात् नई धारा 19.क निम्नवत् अंतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत् नहीं किया जाएगा।"

धारा 20 का संशोधन 11. मूल अधिनियम में, धारा 20 की उपधारा (2) में :–

(i) खण्ड (ख) को विलोपित कर दिया जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् नया खण्ड निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग.ग) धारा 6 एवं 7 के अधीन अपील के निस्तारण के लिए प्रक्रिया;"

आज्ञा से,

शहनशाह मुहम्मद दिलबर दानिश,

सचिव।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

69

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सेवाओं को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने एवं सम्भावित भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 निर्मित किया गया। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित आयोग को सशक्त किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित संशोधन विधेयक में द्वितीय अपील निस्तारण हेतु समय–सीमा 45 दिवस निर्धारित करते हुए द्वितीय अपील का अधिकार, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को दिये जाने सहित शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

3. इसके साथ ही मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा करते हुए आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो किया जाना है तथा सेवा का अधिकार आयोग को सूचना आयोग की तरह न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन का अधिकार प्रदान किया जाना है।

4. प्रस्तावित संशोधन विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है ।

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।

70

No. 155/XXXVI(3)/2023/12(1)/2023
Dated Dehradun, April 25, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Right to Service (Amendment) Act, 2023' (Act No. 10 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 20th April, 2023.

THE UTTARAKHAND RIGHT TO SERVICE (AMENDMENT) ACT, 2023

(Uttarakhand Act No. 10 Of 2023)

AN

ACT

to further amend the Uttarakhand Right to Service Act, 2011,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-Fourth Year of the Republic of India as follows

Short title and Commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Right to Service (Amendment) Act, 2023 (2) It shall come into force at once.
Amendment of section 2	2.	In the Uttarakhand Right to Service Act, 2011 (here in after referred to as principal Act) clause (i) of Section 2 shall be substituted as follows, namely- "'**Second Appellate Authority**' means commission; "
Amendment of section 3	3.	In Principal Act, sub section (2) of section 3 shall be substituted as follows, namely- "(2) The State Government may by notification prescribe the Designated Officer, First Appellate Authority and the given time limit for the purposes of this Act."
Amendment of section 7	4.	In Principal Act, section 7 shall be substituted as follows, namely- "(1) Any eligible person, whose appeal for obtaining service is rejected or who is not provided the service within the time specified by the First Appellate Authority under section 6, may file an appeal to the Second Appellate Authority within thirty days from the date of rejection of such order or the expiry of the time specified by the First Appellate Authority:

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Provided that the second appellate authority may accept any application after the expiry of the prescribed period if it is satisfied that the application could not be made within the prescribed time limit for sufficient reasons.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Second Appellate Authority may consider the matter and if in his opinion right of eligible person are appropriate than he may directs the Designated Officer to provide service to the eligible person within such period as may be specified and in case of any error may direct to present before him in person and clarify his reason:

Provided that before rejecting the appeal, as opportunity of hearing to the eligible person shall be granted by the Second Appellate Authority:

Provided further that an order made by the Second Appellate Authority under this section shall be communicated to the eligible person ;

Provided further also that the appeal made under sub-section (1) shall be decided by the Second Appellate Authority, as far as possible, within a period of fourty five days from the date of receipt of appeal."

Amendment of section 8

5. In Principal Act, section 8 shall be substituted as follows, namely-

"The first Appellate Authority shall while deciding an appeal under the provisions of this Act, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters; namely:-

(a) requiring the production and inspection of documents;

(b) issuing summons for hearing to the Designated Officer and the appellant; and

(c) any other matter which may be prescribed."

Omission of section 10

6. In Principal Act, section 10 shall be omitted.

Amendment of section 13

7. In Principal Act, sub section (1) of section 13 shall be substituted as follows, namely-

"The Commission shall consist of a Chief Commissioner and two Commissioners and their appointment shall be made by the State Government in consultation with the leader of opposition in the uttarakhand vidhan sabha."

Amendment of section 15

8. In Principal Act, sub section (1) of section 15 shall be substituted as follows, namely-

"The chief commissioner and the commissioners shall hold office for a term of three year from the date on which they enter upon the respective offices, or until they attain the age of sixty five years, whichever is earlier and they shall not be entitled for reappointment."

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

72

Amendment of section 17

9. In Principal Act, in section 17,

(i) clause (a) of sub section (1) shall be omitted.

(ii) clause(b) and (c) of sub section (1) shall be substituted as follows, namely-

"(b) take suo moto notice of failure to deliver service in accordance with this Act and refer such cases for disposal to first Appellate Authority or designated officer or may dispose matter suo moto;

(c) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the First Appellate Authority;"

(iii) new clause (g) in sub section (1) shall be inserted as follows, namely-

"(g) may entertain and dispose of appeal under section 7;"

(iv) sub section (3) shall be substituted as follows, namely-

"(3) The Commission shall, while inquiring into any matter under this section or disposing of the appeal under section 7, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters; namely :

(a) summoning and enforcing the attendance of persons, compelling them to give oral or written evidence on oath and producing documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public records or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed."

Insertion of section 19.A

10. In principal Act after Section 19 new Section 19.A shall be inserted as follows, namely-

"Prohibition of Jurisdiction of Court — No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act."

Amendment of Section 20

11. In Principal Act, in sub section (2) of Section 20 :-

(i) clause (b) shall be omitted;

(ii) new clause, after clause (c) shall be inserted as follows, namely-

"(c.c) the procedure for disposing of an appeal made under section 6 and 7."

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

73

Statement of Objects and Reasons

The Right to Service Act, 2011 was enacted by the state government to make available important services related to the general public in a timely manner and to prevent possible corruption. It is proposed to amend the Act for the purpose of empowering the commission constituted for the implementation of the said Act.

2. In the proposed amendment bill, setting the time limit for disposal of second appeal at 45 days, it has been proposed to provide the right of second appeal, the right to Uttarakhand service commission and the power to impose penalty.

3. Along with this, the Chief Commissioner and two Commissioners are to be appointed by the State Government in consultation with the Leader of the Opposition in the Uttarakhand Legislative Assembly. The term of service of the Commissioners is to be three years or 65 years whichever is earlier and the right of service is to be notified to the Commission. Like the commission, the right to bar the jurisdiction of the courts is to be provided.

4. The proposed amendment bill is to fulfill the above objective.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister.